न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन वाद–05 / 2016

सुमित्रा देवी.....वादी

बनाम

राज कुमार राय वगैरह.....प्रतिवादीगण

03.05.25
03-05-25 अभिलेख आज प्रतिवादी सं0–4, 4/ए, 4/बी एवं 4/सी की ओर से आदेश 9 नियम 7 के अंतर्गत एकपक्षीय आदेश दिनांक–28.10.2024 को वापस लेने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–25.11.2024 तथा उसके तत्संबंधित वादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–17.02.2025 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में प्रतिवादी ने यह निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण को संदेशवाहक या डाक के माध्यम से कोई नोटिस नहीं दिया जिस कारण प्रतिवादीगण को वाद की जानकारी नहीं हो सकी तथा प्रतिवादी सं0–5 परमानन्द राय ने उपरोक्त प्रतिवादीगण को दिनांक–20.11.2024 को सूचित किया कि प्रकाशन के बाद इन प्रतिवादीगणों के खिलाफ एकपक्षीय सुवाई के लिए वाद नियत किया गया है और वाद की जानकारी होते ही प्रतिवादीगण आज आपके समक्ष वाद में उपस्थित हुए हैं। इसलिए न्यायहित में आदेश दिनांक–28.10.2024 को वापस लिया जाना आवश्यक है ताकि प्रतिवादीगण उपरोक्त वाद में संघर्ष करने में सक्षम हो तथा पूर्व एकपक्षीय सुनवाई को वापस लेने में कोई बाधा नहीं है। प्रतिवादीगण वाद में सघर्ष करने को तैयार हैं। अतः निवेदन है कि एकपक्षीय सुनवाई आदेश दिनांक–28.10.2024 को वापस लेते हुए प्रार्थी को वाद में संघर्ष करने देने की कृपा प्रदान की जाए।

उपरोक्त आवेदन के प्रत्युत्तर में वादी ने प्रतिवादीगण के आवेदन का विरोध करते हुए निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है, चूँकि प्रतिवादीगण को वाद की जानकारी रहती आयी ओर जानबूझकर नजारत एवं डाक तामिल के बाद भी उपस्थित नहीं है और प्रकाश के बाद ही उनके खिलाफ दिनांक–28.10.2024 को एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। वाद को जानबूझकर वादी को नुकसान पहुँचाने के दृष्टि से विलंब से दाखिल किया गया है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण के आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद में प्रतिवादी सं0–4 रामश्रय राय उपस्थित होकर अपना प्रतिवादपत्र दाखिल किए और उसके पश्चात् प्रतिवादी सं0–4 से 4/सी की उपस्थित हेतु वाद लंबित हुआ जिसके पश्चात् अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध वर्तमान वाद की कार्रवाई न्यायालय आदेश दिनांक–28.10.2024 के द्वारा एकपक्षीय अग्रसारित हुआ। वर्तमान वाद में आवेदनांकित प्रतिवादीगण आवश्यक पक्षकार प्रतीत होते हैं। अतः प्रतिवादीगण का हित वर्तमान वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन से प्रभावित होगा और उनको वाद में संघर्ष करने का एक अवसर प्रदान किया जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक है। जहाँ तक उनको आवेदन विलंब से दाखिल करने का प्रश्न है तो उनके संदर्भ में अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद दिनांक–28.10.2024 को उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। उन्होंने उपरोक्त आवेदन दाखिल किया है जो विलंब से है एवं विचारणीय है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थिति के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपनी अनुपसंजाति के संबंध में किया गया निवेदन दुराशयपूर्ण है, अपितु वाद के आवश्यक पक्षकार होने के नाते वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन में उनके द्वारा दाखिल आवेदन को स्वीकार किया जाना अनिवार्य है। अतएव उनके द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन मो0 1000/– रुपये खर्च की राशि वादी को अदा किए जाने की शर्त पर स्वीकृत की जाती है। तदनुसार आदेश दिनांक–28.10.2024 को वापस लेते हुए उनको वाद में संघर्ष करने का एक अवसर प्रदान किया जाता है तथा अभिलेख को पुनः धारा–89 सी0पी0सी0 की सुनवाई हेतु नियत किया जाता है।

अभिलेख दिनांक– 02-06-2025 वास्ते धारा–89 सी0पी0सी0 की सुनवाई हेतु।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।